ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 136
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, DECEMBER 20, 2022,
AGRAHAYANA 29, 1944 (SAKA)

CESS COLLECTED BY GOVERNMENT AND ITS SHARING WITH STATES

136. DR. JOHN BRITTAS :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the percentage of cess and surcharges in gross tax revenue of the Centre during the last three years;

(b) the details thereof;

(c) whether Government will include revenues from cesses and surcharges as a part of the divisible pool, as per the recommendations of 15th Finance Commission; and

(d) if not, the reasons therefor?

ANSWER
MINISTER OF FINANCE
(SMT. NIRMALA SITHARAMAN)

(a)to (d): A statement is placed on the Table of the House.

Statement referred to in reply to RAJYA SABHA Starred Question No. 136 for answer on 20th December, 2022 raised by Dr. John Brittas regarding "Cess collected by Government and its sharing with States".

(a) & (b) : The percentage of cess and surcharges in gross tax revenue of the Centre during the last three years;

(Rs. In Lakh Crore)

Year	Gross Tax Revenue	Percentage of Cess and Surcharge in Gross Tax Revenue
2019-20	20.10	18.2%
2020-21	20.27	25.1%
2021-22 (RE)	25.16	28.1%

Source: Receipt Budget

(c) & (d): As per provision under Article 270 of the Constitution of India, all taxes and duties referred to in the Union List, except the duties and taxes, surcharge on taxes and duties and any cess levied for specific purposes under any law made by Parliament shall be levied and collected by the Government of India and shall be distributed between the Union and the State. The aforesaid Constitutional provision forms the basis for cess collection and utilization by Union Government.

******

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 136

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022, 29 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है

सरकार द्वारा संग्रहीत उपकर और राज्यों के साथ उसका बंटवारा

136. डॉ. जॉन ब्रिटास:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार की प्रतिशतता कितनी है;
(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, उपकर और अधिभार से प्राप्त राजस्व को विभाज्य पूल के एक भाग के रूप में शामिल करेगी; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"सरकार द्वारा संग्रहीत उपकर और राज्यों के साथ उसका बंटवारा" के संबंध में डॉ. जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न सं. 136 जिसका उत्तर 20 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है, के संदर्भ में विवरण

(क) और (ख):विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र के सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभारों की प्रतिशतता का विवरण;

(लाख करोड़ रुपये में)

वर्ष	सकल कर राजस्व*	सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार का प्रतिशत
2019-20	20.10	18.2%
2020-21	20.27	25.1%
2021-22 (आरई)	25.16	28.1%

*स्रोत: प्राप्ति बजट

(ग)और (घ) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत दिए गए उपबंध के अनुसार, ''संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाए गए शुल्कों व करों, करों और शुल्कों पर अधिभार तथा किसी भी उपकर को छोड़कर संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क, भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे और संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाएंगे। पूर्वोक्त संवैधानिक उपबंध, केंद्र सरकार द्वारा उपकर संग्रहण और उपयोग का आधार तैयार करता है।

*****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would request Members and Ministers to be brief in questions and replies.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, why is it that when it comes to me, it is brief?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it is for all.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the answer given by the Finance Ministry is shockingly revealing. It shows the way in which our federal fiscal is managed. In two years' time, cess and surcharge collected by the Centre has almost doubled. In two years' time, it has gone up to Rs.7 lakh crore. No wonder the States are left starved. My question to the hon. Finance Minister is a specific one. Is it a fact that the Fifteenth Finance Commission had recommended that cesses and surcharges should be made part of the divisible pool? If so, why is the Government of India not heeding to or implementing the recommendation of the Finance Commission?

श्री पंकज चौधरी : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि सेस बहुत बढ़ गया है। सेस संविधान के अनुसार लगाया जा रहा है और पिछली सरकारें भी सेस, सरचार्ज लगाती रही हैं। इसके बढ़ने का जो प्रश्न है और जो बढ़ा हुआ है, उसमें आप देखें कि एक बड़ी मात्रा में जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है और जो सेस लगता है, वह कहीं न कहीं पूरे देश की जनता के विकास के लिए खर्च हो रहा है। सेस की अपनी एक मद होती है और वह उस मद में ही खर्च हो पाता है। आपने कहा कि 15वें फाइनेंस कमीशन में जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है, विचार के लिए विषय में सेस के सरचार्ज को बांटना शामिल नहीं था। फाइनेंस कमीशन ने इस विषय में कोई डिटेल्ड रिकमंडेशन नहीं की है। पूर्व की सरकारों ने भी ऐसी रिकमंडेशन को फॉलो नहीं किया है।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the Minister is saying that the Finance Commission has not given a detailed recommendation. There is a specific recommendation as to this. I didn't say that it is detailed. It is a specific recommendation and that is what pertains to my question. Though it is not very satisfactory, I would urge upon the hon. Finance Minister to explain to the House.

Nevertheless, I am going to the second supplementary. Is it a fact that the States were not given the 41 per cent of the gross tax revenue, as recommended by the Finance Commission? Moreover, various assistances which were available to the States when the Planning Commission was there like Normal Central Assistance, Special Central Assistance, Central Plan Assistance, etc. were done away with and the segregation of revenue as cesses and surcharges have made the State finances

precarious. In this context, I would urge upon the Minister and seek response as to whether the Government of India would review its stand on cesses and surcharges.

श्री पंकज चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, अगर आप देखें, तो मोदी जी की सरकार आने से पहले जहां लगभग 30 परसेंट हिस्सा ही राज्यों को जाता था, लेकिन मोदी जी चूंकि एक प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, वे प्रदेश की चिंताओं को ठीक से समझते हैं, इसलिए और उनके आने के बाद अगर आप देखें, तो 14वें वित्त आयोग में 42 परसेंट और अब 41 परसेंट के शेयर का राज्यों के साथ बंटवारा किया जाता है। जहां तक सेस और सरचार्ज का सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, तो निश्चित तौर से अगर आप देखें कि जो एक विशेष मद में सेस लिया जाता है, वह मद योजनाओं के माध्यम से सभी प्रदेशों में ही जाता है और उसको सभी जगह आम जनता के विकास के लिए खर्च किया जाता है।

श्रीमती संगीता यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जीएसटी कॉम्पनसेशन का बकाया कितना है और इसे कब तक दिया जाएगा?

श्री पंकज चौधरी : माननीय उपसभापति जी, मैं जीएसटी कॉम्पनसेशन के संबंध में बताना चाहता हूं कि कॉम्पनसेशन कोष में जितना पैसा आता है, वह सभी स्टेट्स को दिया जाता है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो लगभग 1,214 करोड़ रुपया बकाया है और निश्चित तौर से भारत सरकार उसको देने के लिए तत्पर है।

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, cesses and surcharges have been converted into an alternate source of revenue. Why should the division not be formally announced between the States and the Centre? It is an alternate source of revenue going up from 15 to 28 per cent.

श्री पंकज चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत सभी सेस को भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के संदर्भ में सबसे पहले संचित निधि, सीएफआई में जमा किया जाता है। सेस को संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्य से शेयर नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार जो सेस इकट्ठा करती है, उसे कहीं न कहीं योजनाओं के माध्यम से प्रदेशों में खर्च करती है।

SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY: Sir, the total amount of cess returned by the Union Government is not transferred to the designated reserve fund. What is the amount of benefits from all cesses devolved to the States in the past five years?

श्री पंकज चौधरी : माननीय उपसभापति जी, मैंने पहले ही बताया है कि यह राज्यों से शेयर नहीं किया जाता है।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

श्री पंकज चौधरी : बल्कि योजनाओं के माध्यम से देश के सभी राज्यों में इसका लाभ पहुंचाया जाता है।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 137